# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(रामकरण सिंह, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

**दावा संख्या :– 119/2023**

**निर्णय दिनांक :–** 9.10.2025

उनवान

1. भवानी शंकर पुत्र राम जीवन बैरवा जाति बैरवा उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम अणतपुरा तहसील निवाई जिला टोंक

**वादी**

**बनाम**

1. तहसीलदार निवाई

**प्रतिवादी**

**दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा**

**उपस्थित :–**

1. **श्री कौशल किशोर जाट, अधिवक्ता वादीगण**
2. **पेरोकार सरकार**

**निर्णय**

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का सार संक्षिप्त में है कि वादी कृषि आराजी खाता संख्या 71 ख0पं0 118, 76 किता 2 रकबा 0.7335 है0, खाता संख्या 70 ख0नं0 15, 23, 28, 47, 6 किता 5 रकबा 0.9737 है0, खाता संख्या 16 ख0नं0 32, 35 किता 2 रकबा 0.6955 है0, खाता संख्या 162 ख0नं0 24 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम अणतपुरा तहसील निवाई जिला टोंक में वादी बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। वादी के समस्त राजकीय दस्तावेजों में यथा आधार कार्ड, बचत खाता पास बुक, पैन कार्ड में भी वादी का नाम भवानी शंकर बैरवा अंकित है लेकिन राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम नानगा अंकित है जो वादी का बोलता नाम है। वादी का मोहल्ले व गांव में भवानी शंकर के नाम से जानते है तथा वादी राजकीय दस्तावेजों में वादी का नाम भवानी शंकर अंकित है। लिहाजा वादी का नाम नानगा के स्थान पर भवानी शंकर दुरुस्त किया जाकर वादी के नाम की उद्घोषणा भवानी शंकर पुत्र राम जीवन के रुप में किया जाना विधि संगत एवं न्याय संगत है। वादी का नाम नानगा के स्थान पर भवानी शंकर पुत्र राम जीवन दुरुस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार निवाई को दिया जाना विधि संगत एवं न्याय संगत है। वादी का नाम नानगा से भवानी शंकर होने से किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई क्षति या असुविधा कारित नही होगी। वादी के नाम भवानी शंकर पुत्र राम जीवन के नाम का गांव में अन्य कोई व्यक्ति नही है। वाद को सुनने व निर्णित करने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय हाजा को प्राप्त है। अतः वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री इस कदर सादिर फरमावें कि वादग्रस्त आराजीयात में वादी का नाम नानगा के स्थान पर भवानी शंकर पुत्र राम जीवन के नाम की उद्घोषणा की जाकर उसी अनुरुप वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड अंकन करने का आदेश फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन वास्ते जबाब दावा तलब किया गया।

प्रतिवादी/तहसीलदार निवाई ने प्रकरण में जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजियात में वादी का हक व हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड अंकित है। उसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त एवं उपयोग उपभोग करता आ रहा है। विरासत का नामान्तकरण संख्या 452 दिनांक 21/10/2000 के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया गया है। वादी द्वारा वांछित अनुतोष वादी स्वयं साबित कर प्राप्त कर सकता हैं। प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं हैं।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। वहरा विद्वान अधिवक्ता वादी एंव पैरोकार सरकार पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का विन्दुवार विवेचन निम्नानुसार है :–

राजस्व वाद वावत् उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत् इस आशय का पेश किया कि वादी की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी की भूमि खाता संख्या 71 ख0नं0 118, 76 किता 2 रकवा 0.7335 है0, खाता संख्या 70 ख0नं0 15, 23, 28, 47, 6 किता 5 रकवा 0.9737 है0, खाता संख्या 16 ख0नं0 32, 35 किता 2 रकवा 0.6955 है0, खाता संख्या 162 ख0नं0 24 रकवा 1 बीघा वाके ग्राम अणतपुरा तहसील निवाई में स्थित है। जिस पर वादी राजस्व रेकर्ड मे दर्ज अपने एक हिस्से की भूमि पर काविज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी के पिता रामजीवन के फौत होने पर वादग्रस्त भूमि मे विरासत के नामान्तकरण संख्या 452 दिनांक 21/10/2000 पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया गया जिसमे वादी नानगा पुत्र राम जीवन दर्ज कर दिया गया। जवकि सही व वास्तविक नाम भवानी शंकर पुत्र राम जीवन है। वादी द्वारा वाद के समर्थन में राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, माध्यमिक शिक्षा की अंक तालिका, उच्च माध्यमिक शिक्षा की अंक तालिका, स्नातक की अंक तालिका, वैक चैक वुक की प्रति एवं जन आधार कार्ड की प्रतियां प्रस्तुत की गयी है। उक्त सभी में वादी का नाम भवानी शंकर पुत्र राम जीवन अंकित है जो सही है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह स्पष्ट अभिमत है कि उपलब्ध दस्तावेजात, साक्ष्य वादी एवं तहसीलदार निवाई के जवाब से यह स्पष्ट होता हैं कि वादग्रस्त आराजी में वतौर खातेदार दर्ज नानगा है। वस्तुतः सही व वास्तविक नाम भवानी शंकर है। प्रत्येक खातेदार का यह प्राथमिक अधिकार होता है कि उससे सम्वन्धित भू–अभिलेख की समस्त प्रविष्टियां त्रुटि रहित एवं शुद्ध हो। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना विधि संगत, न्यायसंगत एवं उचित होगा।

## –:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादी की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी की भूमि ग्राम अणतपुरा तहसील निवाई जिला टोंक मे वादी की खातेदारी कब्जें काश्त एवं उपयोग उपभोग की कृषि भूमि खाता संख्या 71 ख0नं0 118, 76 किता 2 रकबा 0.7335 है0, खाता संख्या 70 ख0नं0 15, 23, 28, 47, 6 किता 5 रकबा 0.9737 है0, खाता संख्या 16 ख0नं0 32, 35 किता 2 रकबा 0.6955 है0, खाता संख्या 162 ख0नं0 24 रकबा 1 बीघा में वादी का नाम नानगा पुत्र राम जीवन के स्थान पर भवानी शंकर पुत्र रामजीवन दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार निवाई को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में इसी मुताबिक इन्द्राज करते हुये राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। पर्चा डिक्री तरबीब हो।

निर्णय आज दिनांक 9.10.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रमिकरण सिंह
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई